बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-स्था०/आ०2-18/2016 165 पटना, दिनांक: 01-12-2020

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय प्रखंड, नालन्दा सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-1327/स्था० दिनांक-22.11.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधर पर निदेशालय के का०आ०सं०-314 सहपठित ज्ञापांक-2495 दिनांक-14.12.2016 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, नालन्दा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,एकंगरसराय, नालंदा के विरूद्ध दर्ज एकंगरसराय थाना कांड संख्या-58/16 दिनांक-08.04.2016 धारा-53ए/53सी०/64 बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अभियुक्त रहने के कारण हिरासत में जाने की तिथि 09.04.2016 के प्रभाव से निदेशालय के का०आ०सं०-113 सहपठित ज्ञापांक-877 दिनांक-05.05.2016 द्वारा श्री अंजनी कुमार को निलंबित किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०-166 सहपठित ज्ञापांक-1282 दिनांक-06.07.2016 द्वारा श्री कुमार के काराधीन अवधि दिनांक- 09.04.2016 से 12.04.2016 के बाद उनके योगदान करने के पश्चात दिनांक-13.04.2016 की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के आलोक में निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही उक्त आदेश द्वारा पत्र निर्गत की तिथि 06.07.2016 से श्री अंजनी कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii) के तहत पुनः निलंबित किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०-155 सहपठित ज्ञापांक-686 दिनांक-07.04.2017 द्वारा श्री अंजनी कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।

श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :-

" श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय को दिनांक 08.04.2016 को बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 53 (क) एवं 53 (ख), 64 के तहत शराब सेवन के आरोप में श्री अर्जुन प्रसाद, थानाध्यक्ष, तेल्हाड़ा द्वारा गिरफ्तार कर एकंगरसराय थाना कांड संख्या-58/16 दर्ज किया गया एवं उपकारा, हिलसा भेजा गया। दिनांक-08.04.2016 को श्री दिनेश कुमार, स०अ० नि०,एकंगरसराय थाना द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एकंगरसराय में चिकित्सीय जाँच कराया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक 669/दिनांक 09.04.2016 के द्वारा श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के विरूद्ध बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 53 (क) 53 (ख), 64 के तहत एकंगरसराय थाना कांड संख्या–58/16 के अन्तर्गत अभियुक्त हो जाने के कारण जिला पदाधिकारी, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया गया ।

निदेशक, योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना के ज्ञापांक– 877/पटना, दिनांक–05.05.2016 के द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) के तहत हिरासत में जाने की तिथि दिनांक 09.04.2016 से निलंबित किया गया।

श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय थाना कांड संख्या–58/16 न्यायालय से जमानत मिलने के उपरान्त दिनांक 12.04.2016 को समय 03.45 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, एकंगरसराय में पुनः कार्य हेतु उपस्थित हुए। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–688/दिनांक–12.04.2016 के द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को संसूचित किया गया।

3. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–432/रा० दिनांक–09.02.2018 द्वारा श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में निम्न प्रतिवेदन दिया है :–" जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार ज्ञात होता है कि श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय के मेडिकल रिपोर्ट से प्रमाण्ति होता है कि मुँह में अल्कोहल का गंध नहीं है और सामान्य बताया गया है। ऐसी स्थिति में लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है, जहॉ तक गिरफ्तारी का मामला है जो न्यायालय से संबंधित है।"

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, नालंदा द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने के दिये गये जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–586 दिनांक–09.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा से मंतव्य की मॉग की गयी। निदेशालय के अनेकों स्मार के बावजूद जिला पदाधिकारी, नालन्दा से मंतव्य अबतक अप्राप्त है।

श्री अंजनी कुमार के विरूद्ध एकंगरसराय थाना कांड संख्या–58/2016 दिनांक–08.04.2016 के आलोक में न्यायालय SDJM, हिलसा में संचालित वाद C.R.No. 162/2016 के अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश निदेशालय के पत्रांक–1420 दिनांक–24.07.2019 द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को दिया गया। स्मारित करने के बावजूद जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा से प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

5. अपर समाहर्त्ता, नालन्दा –सह– संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अंजनी कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

" जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण "

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय प्रखंड, नालन्दा सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

यह आदेश SDJM कोर्ट हिलसा द्वारा वाद C.R.No. 162/2016 में दिये गये न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०/आ०2–18/2016 2146 /पटना, दिनांक : 01-12-2020

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, नालन्दा को उनके पत्रांक–1327/स्था० दिनांक–22.11.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, एकंगरसराय प्रखंड, नालन्दा सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 1/12/2020

" जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण"